भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 441

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट अप भारत योजना

441. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023, 2024 और 2025 कै दौरान आज की तारीख तक देश में बंद किए गए स्टार्ट-अपों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या 2024 की तुलना में 2025 के दौरान देश में 30% से अधिक स्टार्ट-अप बंद कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में स्टार्ट-अप बंद करने की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान अब तक स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तहत बजट आवंटन, राशि जारी करने और उसके उपयोग का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार 1,97,692 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

31 अक्तूबर, 2025 तक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार 6,385 मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है [11 नवंबर, 2025 को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार]। बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): सरकार द्वारा स्टार्टअप के बंद होने में कोई वृद्धि नहीं पाई गई है। जो स्टार्टअप बंद होते हैं, वे आम तौर पर व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता, बाजार की मांगों के साथ अनुरूपता, घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों, तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, वित्तपोषण आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय-विशिष्ट कारणों जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं।

(घ): स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) ताकि स्टार्टअप्स को निधि व्यवस्था के अवसर प्रदान किए जा सकें और उन्हें उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की निधि से स्थापित किया गया है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। 31 अक्तूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023, 2024, और 2025 में एआईएफ द्वारा प्रतिबद्ध और वितरित राशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस 945 करोड़ रुपए की निधि से 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित किया गया है। 31 अक्तूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में इन्क्यूबेटरों हेतु अनुमोदित और वितरित राशि का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बंधक रहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है और 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में है। 31 अक्तूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में स्टार्टअप उधारकर्ताओं को गारंटीकृत ऋण की राशि का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियां, जिन्हें 11 नवंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार हैं:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या जिन्हें बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
आंध्र प्रदेश	121
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	59
बिहार	96
चंडीगढ़	27
छत्तीसगढ़	64
दिल्ली	737
गोवा	29
गुजरात	348
हरियाणा	306
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू और कश्मीर	41
झारखंड	64
कर्नाटक	845
केरल	241
मध्य प्रदेश	180
महाराष्ट्र	1,200
मणिपुर	10
मेघालय	4
मिजोरम	3
नागालैंड	4

ओडिशा	117
पुदुच्चेरी	7
पंजाब	50
राजस्थान	211
सिक्किम	1
तमिलनाडु	338
तेलंगाना	368
त्रिपुरा	9
उत्तर प्रदेश	598
उत्तराखंड	58
पश्चिम बंगाल	231
कुल	**6,385**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्तूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार एफएफएस के तहत कैलेंडर वर्ष 2023, 2024, और 2025 में एआईएफ द्वारा प्रतिबद्ध और वितरित/आहरित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2023**		**2024**		**2025 (31 अक्तूबर 2025 तक)**	
	एआईएफ को प्रतिबद्ध राशि	**एआईएफ द्वारा वितरित/ आहरित राशि**	**एआईएफ को प्रतिबद्ध राशि**	**एआईएफ द्वारा वितरित/ आहरित राशि**	**एआईएफ को प्रतिबद्ध राशि**	**एआईएफ द्वारा वितरित/ आहरित राशि**
असम	-	2.42	-	1.63	-	-
दिल्ली	250.00	55.85	78.00	67.76	20.00	34.12
गुजरात	50.00	28.75	-	13.31	-	21.67
हरियाणा	-	21.33	20.00	1.36	45.00	17.41
कर्नाटक	495.00	201.49	551.00	227.67	245.00	286.07
महाराष्ट्र	1,438.75	730.52	515.00	691.07	370.00	497.37
राजस्थान	-	-	20.00	-	-	-
तमिलनाडु	50.00	56.45	135.00	53.32	70.00	19.61
तेलंगाना	-	56.24	-	18.82	100.00	3.32
कुल	**2,283.75**	**1,153.05**	**1,319.00**	**1,074.93**	**850.00**	**879.57**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्तूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार एसआईएसएफएस के तहत कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में इन्क्यूबेटरों हेतु अनुमोदित और वितरित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2023		2024		2025 (31 अक्तूबर, 2025 तक)	
	इन्क्यूबेटरों हेतु स्वीकृत राशि	इन्क्यूबेटरों को वितरित राशि	इन्क्यूबेटरों हेतु स्वीकृत राशि	इन्क्यूबेटरों को वितरित राशि	इन्क्यूबेटरों हेतु स्वीकृत राशि	इन्क्यूबेटरों को वितरित राशि
आंध्र प्रदेश	19.95	9.22	5.25	3.68	0	2.8
असम	5.25	0	5.25	2.1	0	2.1
बिहार	8.4	3.02	0	1.22	0	2.35
छत्तीसगढ़	2.1	1.14	0	0	0	0.6
दिल्ली	30.45	10.4	4.2	6.54	2.1	4.38
गोवा	0	1.82	3.15	2.25	0	2.66
गुजरात	5.25	3.98	5.25	5.82	2.63	9.44
हरियाणा	7.35	4.17	6.3	2.16	0	4.13
हिमाचल प्रदेश	5.25	1.26	0	3.6	0	0
जम्मू और कश्मीर	5.25	2.1	0	0	0	0
झारखंड	4.2	1.68	0	0	0	0
कर्नाटक	30.45	24.19	16.8	8.4	0	7.4
केरल	0	0.3	0	1.5	0	3.54
मध्य प्रदेश	8.4	5.51	5.25	5.23	0	0.63
महाराष्ट्र	16.8	15.81	5.25	13.25	15.23	18.37
मिजोरम	4.2	0.42	0	1.57	0	0
नागालैंड	7.35	2.94	0	0.63	0	0
ओडिशा	16.28	5.41	0	7.24	0	0.07
पुदुच्चेरी	0	0.91	0	2.51	0	1.58
पंजाब	25.2	9.98	0	5.78	5.25	4.57
राजस्थान	12.6	10	5.25	5.58	1.58	5.66
सिक्किम	0	0.91	0	0	0	0

तमिलनाडु	42	23.99	5.25	6.67	4.98	7.6
तेलंगाना	15.75	12.49	13.65	7.14	0	8.17
उत्तर प्रदेश	10.5	8.86	18.9	10.75	5.25	5.25
उत्तराखंड	0	1.58	0	1.58	3.15	0.92
पश्चिम बंगाल	0	1.58	0	0	2.1	2.34
कुल	**282.9**	**163.6**	**99.7**	**105.2**	**42.3**	**94.6**

*****

अनुबंध-IV

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्तूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार सीजीएसएस के तहत कैलेंडर वर्ष 2023, 2024 और 2025 में स्टार्टअप उधारकर्ताओं को गारंटीकृत ऋण की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**गारंटीकृत ऋण राशि**		
	2023	**2024**	**2025 (31 अक्तूबर, 2025 तक)**
आंध्र प्रदेश	5.30	9.70	2.00
असम	0.00	2.52	11.45
बिहार	0.00	0.28	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.15	0.00
दिल्ली	25.65	25.96	2.50
गुजरात	6.50	3.00	30.27
हरियाणा	25.25	58.17	14.87
जम्मू और कश्मीर	10.00	4.35	5.00
कर्नाटक	30.16	37.18	24.88
केरल	4.50	24.50	3.00
मध्य प्रदेश	8.80	1.00	1.00
महाराष्ट्र	59.75	64.99	34.83
ओडिशा	0.00	0.00	4.50
राजस्थान	11.80	20.50	0.00
तमिलनाडु	8.65	62.00	10.22
तेलंगाना	0.30	5.17	0.00
उत्तर प्रदेश	18.12	20.86	6.88
उत्तराखंड	0.00	10.00	0.00
पश्चिम बंगाल	6	30.75	2
कुल	**220.78**	**381.08**	**153.4**

*****